<u>डिस्कलेमर</u>

आदेश संख्या 14/2023-24 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फाइल संख्या ऐरा/20010/एमवाईटीपी/ग्लोबल -फ्लाइट/जीएच/पटना/सीपी-III/2021-26 आदेश संख्या 14/2023-24



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (पटना) प्राइवेट लिमिटेड (जी.एफ.एच.एस.पी.पी.एल.) के संबंध में जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पटना में प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख: 30.08.2023

ऐरा भवन प्रशासनिक कॉम्पलेक्स सफदरजंग हवाईअड्डा नई दिल्ली– 110003

आदेश संख्या 14/2*023-24* पृष्ठ 31 का *1*

अध्याय 7: प्राधिकरण के निर्णयों का सार

जीएफएचएसपीपीएल के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के संबंध में प्राधिकरण के निर्णयों (प्रत्येक अध्याय में दिए गए) का सार इस प्रकार है:

अध्याय	पैरा	प्राधिकरण के निर्णयों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	2.9	प्राधिकरण जीएफएचएसपीपीएल द्वारा पटना अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में स्वतंत्र सेवा प्रदाता के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण कार्य को "लाइट टच अप्रोच" के अंतर्गत मानने का निर्णय लेता है।	08
अध्याय संख्या 3	3.13	प्राधिकरण तालिका 03 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित विमान यातायात (संचालित की जाने वाली उड़ानों) को मानने का निर्णय लेता है।	11
अध्याय संख्या 4	4.7	प्राधिकरण तालिका 04 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कैपेक्स को मानने का निर्णय लेता है।	14
अध्याय संख्या 5	5.7	प्राधिकरण तालिका 05 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ओपेक्स को मानने का निर्णय लेता है।	19
अध्याय संख्या 6	6.15	प्राधिकरण जीएफएचएसपीपीएल द्वारा पटना हवाईअड्डे पर शेड्यूल्ड उड़ानों, अंतरराष्ट्रीय 'नॉन शेड्यूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन प्रचालनों'' के संबंध में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओ के लिए प्रथम नियंत्रण अविध के लिए संलग्नक (I,II और III) के अनुसार टैरिफ दरों और शेडयूल्ड एवं नॉन शेड्यूल्ड प्रचालकों के लिए मदवार टैरिफ दर कार्ड को मानने का निर्णय लेता है।	24
	6.16	प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि अंतरदेशीय नॉन-शेड्यूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन प्रचालनों के लिए टैरिफ, इसमें ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए मद-वार प्रभार भी शामिल है, समान श्रेणी के विमान (नों) के लिए संगत अंतरदेशीय शेड्यूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।	
	6.17	प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले माह की अंतिम तारीख को विद्यमान मुद्रा परिवर्तन दर पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की पंद्रह (15) तारीख को विद्यमान दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी।	
	6.18	प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि संलग्नक (I,II और III) में इंगित टैरिफ दरें वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभार न लगाया जाए।	
	6.19	प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि जीएफएचएसपीपीएल नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इसके दिनांक 27.10.2022 के पत्र संख्या एवी-24011/10/2021-एएआई-एमओसीए द्वारा जारी निदेशों के अनुसार जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पटना में ग्राउंड हैंडलिंग उपस्कर के मानकीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।	

आदेश संख्या 14/2*023-24* पृष्ठ 31 का 56

अध्याय 8: आदेश

रिकॉर्ड में उपलब्ध तात्विक सामग्री और जीएफएचएसपीपीएल द्वारा की गई प्रस्तुति पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

- (i) मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (पटना) प्राइवेट लिमिटेड (जीएफएचएसपीपीएल) द्वारा जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पटना में प्रदान जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं "मटीरियल नहीं" है। इसलिए प्राधिकरण प्रथम नियंत्रण अविध (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए 'लाइट टच अप्रोच' अपनाने का निर्णय लेता है।
- (ii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि **संलग्नक (I,II और III)** में इंगित टैरिफ दरें वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभार नहीं लगाया जाएगा।।
- (iii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि अंतरदेशीय "नॉन—शेड्यूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन प्रचालनों" के लिए टैरिफ, इसमें ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए मद-वार प्रभार भी सिम्मिलित हैं, समान श्रेणी के विमान(नों) की संगत अंतरदेशीय शेड्यूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।
- (iv) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले माह की अंतिम तारीख को विद्यमान मुद्रा परिवर्तन दर पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की पंद्रह (15) तारीख को विद्यमान दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी।
- (v) इसमें ऊपर निर्धारित टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।
- (vi) मैसर्स जीएफएचएसपीपीएल ऐरा सीजीएफ दिशा-निर्देश, 2011 (खंड 11.4) के अनुसार पटना हवाईअड्डे पर अपने ग्राउंड हैंडलिंग प्रचालनों के लिए अलग लेखों का रख-रखाव करेगी और प्रत्येक टैरिफ वर्ष के अंत में वार्षिक लेखा परीक्षित लेखों सहित वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत करेगी।
- (vii) मैसर्स जीएफएचएसपीपीएल प्रथम नियंत्रण अवधि की उस अवधि के दौरान सभी आवश्यक सांविधिक अपेक्षाओं आदि का अनुपालन भी सुनिश्चित करेंगी, जिस अवधि के लिए प्राधिकरण द्वारा टैरिफ अनुमोदित की गई है।
- (viii) यह टैरिफ आदेश 01.09.2023 से प्रभावी होगा।
- (ix) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन) सचिव

सेवामें,

विंग सीडीआर अरिवाजगन ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (पटना), प्राइवेट लिमिटेड, जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, शहीद पीर अली खान मार्ग, भाटपुरा गांव, शेखपुरा, पटना, बिहार 800014

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

- 1. सिचव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
- 2. हवाईअड्डा निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जय प्रकाश नारायण अंतराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पटना-800014

आदेश संख्या 14/2023-24 पृष्ठ 31 का 36



